

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

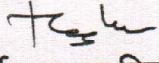
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 13035 / 121

दिनांक :- 16/02/2021

कार्यालय आदेश

श्री / श्रीमती / सुश्री बाबु लाल टेलर [लिंक न. 13035] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर - [31125] जिनकी जन्म तिथि 05/05/1988 है, ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 13/01/2021 द्वारा अपना नाम बाबु लाल टेलर से परिवर्तित कर हेमन्त टेलर किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के जिल्द संख्या 72 अंक संख्या 29 भाग संख्या 07 दिनांक 15/10/2020 में प्रकाशित बंध पत्र एवं समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 09/11/2020 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम हेमन्त टेलर विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 13035 / 121

दिनांक :- 16/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री / श्रीमती / सुश्री हेमन्त टेलर [13035] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)